निशानेबाजी, तीरंदाजी और फुटबॉल के लिए डीडीए के विभिन्न खेल परिसरों में एलजी कप के आयोजन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने का नोटिस (एनआईपी)

NIP NO. – 01/NIP/SFSC/DDA/2024-25

1. **परिचय:**

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) शूटिंग, तीरंदाजी और फुटबॉल के लिए विभिन्न खेल परिसरों में "लेफ्टिनेंट गवर्नर कप" आयोजित करने की योजना बना रहा है। टूर्नामेंट की अवधि खेल परिसर द्वारा विभिन्न खेलों के लिए व्यक्तिगत रूप से तय की जाएगी जिसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए नामित किया गया है। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल संयुक्त पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनके पास प्रायोजकों को जुटाने सहित पूरे कार्यक्रम को समग्रता में आयोजित करने के क्षेत्र में विशेषज्ञता है।

2. कार्यक्षेत्र:

"उपराज्यपाल कप" के संचालन में शामिल व्यय निम्नलिखित शीर्षों के तहत होगा:-

a. खिलाड़ोिं के लिए खाद्य और पेय पदार्थ (एफ एंड बी) (500) (नाश्ता/लंच/हाई टी आदि मैचों/इवेंट के समय के अनुसार.
b. कर्मचारियों के लिए एफ एंड बी।
c. पुरस्कार वितरण के दिन सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विशेष व्यवस्था के साथ सभी दिनों में मंच और फूलों की व्यवस्था सहित टेंट और संबंधित फर्नीचर.
d. गिवअवे (500)।
e. आयोजन के अनुसार योग्य अधिकारियों का प्रावधान।
f. ड्रोन सहित फोटोग्राफी (स्टिल/वीडियो).
g. विजेता, उपविजेता और प्रायोजकों के लिए स्मृति चिन्ह / ट्राफियां (विवरण प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा)।
h. ब्रांडिंग (होर्डिंग, कोलाज आदि को ठीक करना)।
i. मुद्रण सामग्री।
j. लाइव संगीत के लिए 4-व्यक्ति बैंड (अंतिम दिन के लिए, अस्थायी रूप से दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक)।
k. चिकित्सा व्यय (प्रतिदिन प्रदान की जाने वाली सुविधा)।
l. ड्रा शीट बनाने सहित RSVP।
m. उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है और एजेंसी को कार्यक्रम के सफल समापन के लिए साइट की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करनी होगी।

इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियां आयुक्त (खेल) और सचिव, एसएफएससी के निर्देशों और समग्र पर्यवेक्षण के तहत काम करेंगी.

सस्ता माल के डिजाइन और गुणवत्ता को एसएफएससी प्रबंधन से अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी।

यह अनुबंध एलजी कप के आयोजन के लिए होगा, जिसे 1+1+1 आधार पर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते एजेंसी का प्रदर्शन संतोषजनक हो और आपसी सहमति हो।

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

3. पात्रता मानदंड:

- इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी एक पंजीकृत कानूनी इकाई होनी चाहिए और उसके पास वैध जीएसटीआईएन और पैन होना चाहिए.
- 2023-24 में समाप्त होने वाले अंतिम पांच वित्तीय वर्षों में किसी भी तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक कारोबार कम से कम 50 लाख रुपये होना चाहिए।
- बोली लगाने वाली संस्थाओं को पिछले 5 वित्तीय वर्षों (2023-24 को समाप्त) में किसी भी 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम 200 प्रतिभागियों वाले इस प्रकृति के कम से कम 4 कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- बोली लगाने वाली संस्थाओं को भारत में किसी भी सरकार (केंद्र या राज्य) या पीएसयू या स्वायत्त निकाय द्वारा ब्लैकलिस्ट या वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- **<u>बोली लगाने वाली संस्थाओं/प्रवर्तकों की किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित/प्रगति पर नहीं होनी चाहिए।</u>**

4. चयन मानदंड:

इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों का चयन मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। नीचे दिए गए मूल्यांकन के अनुसार उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी को काम से सम्मानित किया जाएगा।

कुल अंक आवंटित – 100

क्र.सं.	तकनीकी मूल्यांकन	अधिकतम अंक
1	पिछले पांच वित्तीय वर्षों में उच्चतम तीन वित्तीय वर्षों का औसत कारोबार ● 50 लाख रुपये से 2 करोड़ तक औसत कारोबार - 8 अंक ● रु. 2 करोड़ से रु. 3 करोड़ तक का औसत टर्नओवर – 16 अंक ● 3 करोड़ रुपये से अधिक औसत कारोबार – 25 अंक	25
2	अनुभव ● 3 साल के लिए प्रति वर्ष कम से कम 4 कार्यक्रम (प्रत्येक में न्यूनतम 200 प्रतिभागियों के साथ) आयोजित - 8 अंक ● 4 से 5 साल के लिए प्रति वर्ष कम से कम 4 कार्यक्रम (प्रत्येक में न्यूनतम 200 प्रतिभागियों के साथ) आयोजित किया गया - 16 अंक ● 5 साल से अधिक -25 अंकों के लिए प्रति वर्ष कम से कम 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए (प्रत्येक में न्यूनतम 200 प्रतिभागियों के साथ)	25
3	पिछले 3 वर्षों में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या ● पिछले 3 वर्षों में 6 कार्यक्रमों तक आयोजित – 5 अंक ● पिछले 3 वर्षों में 7 से 12 कार्यक्रम आयोजित किए गए – 10 अंक ● पिछले 3 वर्षों में 12 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए – 15 अंक ● डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ 1 कार्यक्रम आयोजित किया गया - अतिरिक्त 10 अंक	25
4	एजेंसी द्वारा डीडीए के साथ राजस्व साझा किया जाएगा ●10 लाख रुपये तक - 1 लाख रुपये पर 2 अंक, न्यूनतम लाख तक पूर्णांकित। (उदाहरण के लिए, यदि डीडीए के साथ साझा किया जाने वाला प्रस्तावित राजस्व 6.50 लाख रुपये है, तो 12 अंक दिए जाएंगे) ● 11 लाख रुपये और उससे अधिक - 25 अंक ● डीडीए के साथ साझा किया जाने वाला न्यूनतम राजस्व 1 लाख रुपये होगा। उद्धृत राशि जीएसटी को छोड़कर होगी। इस संबंध में लागू नियमों के अनुसार एजेंसी द्वारा	25

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

	लागू जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।	

यदि दो या अधिक एजेंसियों के अंक समान हैं, तो उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 4 में अधिक अंक वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा। यदि क्रम संख्या 4 में प्राप्त अंक भी समान हैं, तो एजेंसी के चयन के लिए ड्रा आयोजित किया जाएगा।

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

5. **. सुरक्षा जमा:-**

a. चयनित एजेंसी को 5 लाख रुपये (केवल पांच लाख रुपये) की राशि सावधि जमा/आरटीजीएस के रूप में सुरक्षा जमा के रूप में जमा करनी होगी, जो कि अनुबंध की अवधि पूरी होने के एक महीने बाद बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

b. सावधि जमा के मामले में, इसे "सीएयू स्पोर्ट्स, डीडीए" के नाम से जारी किया जा सकता है। आरटीजीएस के मामले में, खाते का विवरण इस प्रकार है:

नाम: सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए; खाता संख्या: 1611994900; आईएफएससी: केकेबीके0000184

c. निम्नलिखित मामलों में सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी;

i. यदि एजेंसी आयोजन के लिए निर्धारित मानदंडों और समयसीमा को पूरा करने में सक्षम नहीं है

ii. समग्र रूप से कार्यक्रम वांछित स्तर पर आयोजित नहीं किया गया है।

iii. किसी अन्य मामले में आयुक्त (खेल), डीडीए द्वारा एजेंसी की ओर से उल्लंघन/अतिक्रमण माना जाता है

6. **बोली-पूर्व बैठक:-**

- **सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रस्ताव आमंत्रित करने के नोटिस (एनआईपी) से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए 01.04.2025 को एक प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी**
- **सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रबंधन प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर समय-सीमा को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

7. **डीडीए द्वारा कार्यक्रम आयोजक को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:-**

प्रत्येक स्थल पर।

- **कार्यक्रम से संबंधित सुविधाओं के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं।**
- **टूर्नामेंट की अवधि के दौरान होर्डिंग/प्रदर्शन की अनुमति।**
- **उपहारों के भंडारण के लिए पर्याप्त क्षेत्र निर्धारित किया गया है।**
- **बैक ड्रॉप सहित 12' x 12' आकार के अधिकतम 100 होर्डिंग।**
- **टूर्नामेंट की अवधि के दौरान प्रति ऑटो प्रायोजक प्रति ब्रांड दो कारों या चार 2-पहिया वाहनों से अधिक के लिए प्रदर्शन स्थान। (किसी भी अतिरिक्त प्रदर्शन के लिए शुल्क लिया जाएगा)।**
- **प्रति प्रायोजक एक कियोस्क की अनुमति। (किसी भी अतिरिक्त प्रदर्शन के लिए शुल्क लिया जाएगा)।**

अन्य परिसरों में

- **टूर्नामेंट की अवधि के दौरान डीडीए के प्रत्येक खेल परिसर/गोल्फ कोर्स में अधिकतम 5 होर्डिंग्स लगाने की अनुमति है। (किसी भी अतिरिक्त प्रदर्शन पर शुल्क लिया जाएगा)।**

8. **बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावे**

- प्रस्ताव स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति (कंपनी लेटर हेड पर दी जानी है)।
- पैन नंबर की स्कैन की गई प्रति।
- जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।
- 2023-24 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के आईटी रिटर्न की स्कैन की गई प्रति।

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

- चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट और प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति, जिसमें वैध यूडीआईएन हो।
- पैरा 4 (चयन मानदंड) के क्रम संख्या 2 (अनुभव), क्रम संख्या 3 (घटनाओं की संख्या) में उल्लिखित अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- बोली लगाने वाली एजेंसी द्वारा 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग की स्कैन की गई प्रत (ग) भारत में किसी सरकार (केन्द्र अथवा राज्य) अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है अथवा प्रतिवजत नहीं किया गया है और यह कि किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित/चल रही नहीं है।
- सत्यनिष्ठा संधि का पत्र।
- एनआईपी के खंडों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों के संबंध में कमी पाए गए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें।

9. नियम और शर्तें
- पूरा खर्च व्यक्ति/इवेंट मैनेजर द्वारा वहन किया जाएगा और डीडीए द्वारा कोई खर्च वहन नहीं किया जाएगा। सस्ता और एफ एंड बी (मेनू) का विवरण सचिव, एसएफएससी से प्राप्त किया जाएगा।
- प्रत्येक स्थल के स्नैक बार लाइसेंसधारी द्वारा संपूर्ण एफएंडबी की व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी विशेष स्थल पर कोई अनुबंध उपलब्ध नहीं है, तो बाहरी खानपान का सहारा लिया जा सकता है।
- बी. आयोजक द्वारा प्रतिभागियों से कोई टूर्नामेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, डीडीए भागीदारी के लिए टूर्नामेंट शुल्क लेगा।
- सी. अनुबंध एलजी कप के संचालन के लिए एक वर्ष के लिए होगा जिसे एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर 1+1+1 के आधार पर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- डी. स्थल के साथ तिथियों की सूचना पहले ही दे दी जाएगी।.

10. एनआईपी की वैधता बोली खुलने की तारीख से 75 दिनों के लिए होगी।
11. आयुक्त (खेल) या उनके द्वारा अधिकृत डीडीए का कोई अन्य अधिकारी एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में खुद को संतुष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, डीडीए अनुबंध की मुद्रा के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अतिरिक्त, संतोषजनक सेवा प्रदान करने में एजेंसी की ओर से विफलता के मामले में डीडीए सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लेगा। इस संबंध में आयुक्त (खेल) डीडीए का निर्णय अंतिम होगा

12. एजेंसी संबंधित प्राधिकरणों के साथ जीएसटी सहित सभी करों/लेवी को जमा करने के लिए जिम्मेदार होगी।

13. एजेंसी को अपने एजेंटों, प्रतिनिधियों या कर्मचारियों के साथ उक्त सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। एजेंसी के एजेंट, प्रतिनिधियों या कर्मचारियों द्वारा डीडीए को होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या चोरी के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी, जो उक्त सेवाएं प्रदान करते समय एजेंसी की सुरक्षा जमा से वसूल की जाएगी।

14. एजेंसी को प्रस्तावित समझौते/अनुबंध अवधि के दौरान किसी अन्य पार्टी या उप-एजेंसी को अपना काम देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, न ही फर्म के नाम में बदलाव या इकाई के संविधान में बदलाव की अनुमति डीडीए के पूर्व अनुमोदन के बिना दी जाएगी।

15. अस्तित्व में किसी भी अन्य अभ्यास के बावजूद, या किसी भी पूर्व समझौते या लिखित बातचीत के बावजूद, या कोई निविदा शर्त, या इस समझौते में कोई अन्य खंड या वाचा या इस समझौते में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज, जीसीसी या सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में कोई प्रावधान, या कोई परिपत्र, दिशानिर्देश, दिशा या कोई नियम या विनियमन, यह सहमति है कि इस समझौते के पक्षों के बीच किसी भी विवाद को (ग) दिल्ली में विभिन्न न्यायालयों के मामले में कोई निर्णय लिया गया है और विवाद का समाधान मध्यस्थता अथवा किसी अन्य वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के माध्यम से नहीं किया जाएगा।

16. अनुबंध की समाप्ति

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

- यह अनुबंध किसी भी परिस्थिति में गैर-हस्तांतरणीय है। ऊपर उल्लिखित नियमों और विनियमों का कोई उल्लंघन होने पर प्रबंधन इस अनुबंध को समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है.
- दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद/मतभेद के मामले में, मामला आयुक्त (खेल), डीडीए को भेजा जाएगा। आयुक्त (खेल), दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- जेंसी को खेल परिसर के लिए सेवाओं को उप-ठेका देने, या पट्टे पर देने, या किराए पर देने की अनुमति नहीं है जब तक कि डीडीए और एजेंसी/व्यक्ति के बीच पारस्परिक रूप से और लिखित रूप में सहमति न हो।
- एजेंसी/व्यक्ति सभी तीसरे पक्ष के दावों के लिए जिम्मेदार होगा, और किसी भी दावे, शिकायत, या खराब गुणवत्ता वाले भोजन, या सेवा के कारण किसी भी पार्टी द्वारा शुरू की गई अन्य कार्रवाई, या एजेंसी/व्यक्ति के उत्पादों और सेवाओं से संबंधित किसी भी शिकायत के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा। एजेंसी/व्यक्ति क्षतिपूत करता है और एसएफएससी, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -17 और डीडीए को किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ रखने के लिए सहमत होता है, जो कानून, अनुबंध के किसी भी उल्लंघन के कारण या किसी भी पार्टी के प्रति एजेंसी/व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध किसी अन्य दायित्व के उल्लंघन के कारण हो सकता है।
- डीडीए के साथ अनुबंध करने से एजेंसी एसएफएससी, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -17 और डीडीए या उसके परिसर की संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित हासिल नहीं करेगी। अनुबंध जो कुछ भी प्रदान करता है वह टूर्नामेंट की अवधि के दौरान खेल परिसरों के निर्दिष्ट हिस्से का उपयोग करने का अधिकार है। इस व्यवस्था से किसी भी प्रकार से लाइसेंसधारक के पक्ष में पट्टा अथवा ग्रहणाधिकार सृजित नहीं होता है।

17. **अप्रत्याशित घटना**:

निविदा के प्रावधानों के होते हुए भी, सफल बोलीदाता प्रतिभूति जमा राशि की जब्ती, परिसमापन क्षति या चूक के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और इस सीमा तक कि निष्पादन में विलंब अथवा संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना का परिणाम है।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है सफल एजेंसी के नियंत्रण से परे एक घटना और सफल एजेंसी की गलती या लापरवाही को शामिल नहीं करना और इसकी संप्रभु या संविदात्मक क्षमता में नहीं। इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन भगवान के अधिनियमों, युद्धों या क्रांतियों, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल ढुलाई प्रतिबंध आदि तक सीमित नहीं हैं। अप्रत्याशित घटना की स्थिति मौजूद है या नहीं, इसका निर्णय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और इसका निर्णय सफल एजेंसी और अन्य सभी संबंधितों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यदि सफल बोलीदाता अप्रत्याशित घटना के कारण इस संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे अप्रत्याशित अप्रत्याशित अवधि के लिए अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। यदि ऐसी अप्रत्याशित घटना छह महीने से अधिक समय तक चलती है तो डीडीए को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है और इस मामले में पीबीजी उसे वापस कर दिया जाएगा।

यदि अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है, तो सफल बोलीदाता डीडीए को तुरंत लिखित रूप में सूचित

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

करेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर नहीं। सफल बोलीदाता डीडीए को अप्रत्याशित घटना की शर्तों की समाप्ति के 3 दिनों के भीतर सूचित नहीं करेगा। मामलों की जांच करने के बाद, डीडीए निर्णय लेगा और फोर्स मेजर अवधि के दौरान यदि आवश्यक हो तो कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त अतिरिक्त समय प्रदान करेगा। यदि ऐसी अप्रत्याशित घटना छह महीने से अधिक समय तक चलती है तो डीडीए को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है जिस स्थिति में उसे प्रतिभूति जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

18. इच्छुक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियां वित्तीय पहलुओं सहित अपने पूरे प्रस्ताव को 05.03.2025 तक सचिव, एसएफएससी, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली को भेज सकती हैं। एक प्रति ईमेल द्वारा sfscdda@yahoo.co.in और commrsprts@dda.org.in को भी भेजी जा सकती है। भौतिक मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपूर्ण प्रस्तावों के कारण आवेदन रद्द हो जाएगा.

आरई/एसएफएससी
दिल्ली विकास प्राधिकरण

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

प्रस्ताव स्वीकृति पत्र
(कंपनी लेटर हेड पर दिया जाना है)

खजूर: **तक**

विषय: प्रस्ताव के नियमों और शर्तों की स्वीकृति।

नौकरी का नाम:

एस.एच.

प्रिय महोदय,

1. **मैंने/हमने उपर्युक्त 'प्रस्ताव/कार्य' के लिए प्रस्ताव दस्तावेज वेबसाइट (वेबसाइटों) से डाउनलोड/प्राप्त किए हैं: आपके विज्ञापन के अनुसार, उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिया गया है।**
2. **मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने/हमने प्रस्ताव दस्तावेज के संपूर्ण नियमों और शर्तों को पृष्ठ संख्या 1 से पढ़ लिया है। (अनुबंध (अनुबंधों), अनुसूची (ओं), आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित, जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें निहित नियमों / शर्तों / खंडों का पालन करेंगे।**
3. **इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठनों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।**
4. **मैं/हम एतद्द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव दस्तावेज(दस्तावेजों)/शुद्धिपत्र की प्रस्ताव शर्तों को उसकी समग्रता/संपूर्णता में स्वीकार करते हैं.**

5. **यदि इस प्रस्ताव के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद कोई उल्लंघन पाया जाता है तो पूरी जमानत राशि पूरी तरह जब्त कर लेगा.**

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीदाता के

हस्ताक्षर)

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

सत्यनिष्ठा समझौता

तक

विषय: प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नौकरी का नाम:

उप प्रमुख :- प्रिय महोदय,

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि डीडीए प्रस्ताव/बोली दस्तावेज के साथ संलग्न अखंडता समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं/हम सहमत हैं कि प्रस्ताव आमंत्रित करने का नोटिस (एनआईपी) इस शर्त पर दिया गया निमंत्रण है कि मैं/हम संलग्न अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो प्रस्ताव दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग है, जिसमें विफल होने पर मैं/हम बोली प्रक्रिया से अयोग्य हो जाएंगे। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि बोली लगाने को बिना शर्त और निरपेक्ष माना जाएगा एनआईपी की इस शर्त की स्वीकृति।

मैं/हम सत्यनिष्ठा करार की अक्षरश स्वीकृति और अनुपालन की पुष्टि करते हैं और यह भी सहमत होते हैं कि उक्त सत्यनिष्ठा करार का निष्पादन मुख्य संविदा से पृथक और पृथक होगा जो डीडीए द्वारा प्रस्ताव/बोली को अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के बाद अस्तित्व में आएगा। मैं/हम अखंडता समझौते की अवधि को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं, जो संलग्न अखंडता समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुरूप होगा।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने और स्वीकार करने में मेरी/हमारी विफलता की स्थिति में, प्रस्ताव/बोली प्रस्तुत करते समय, डीडीए के पास बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने और प्रस्ताव/बोली के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्ताव/बोली को अस्वीकार करने का अयोग्य, पूर्ण और निरंकुश अधिकार होगा।

आपका भवदीयता

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

<u>सत्यनिष्ठा समझौता</u>

(बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना और उसी हस्ताक्षरकर्ता सक्षम/डीडीए की ओर से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत)

अखंडता समझौता

यह सत्यनिष्ठा समझौता कब किया गया है..... इस पर..... का दिन..... 20……

के बीच

दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसका प्रतिनिधित्व AD/RE/AE/JE (खेल परिसर / गोल्फ कोर्स का पता) के माध्यम से किया जाता है (इसके बाद इसे 'प्रधान/स्वामी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न होने पर उसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनी शामिल होंगे)

और

….....(का नाम और पता

व्यक्ति/फर्म/कंपनी)

के माध्यम से … (इसके बाद "बोलीदाता/एजेंसी" के रूप में संदर्भित, और कौन सी अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशनों में इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो)

उद्देशिका

जबकि प्रिंसिपल/मालिक ने प्रस्ताव एनआईपी नं.… (इसके बाद बोली) के रूप में संदर्भित किया गया है और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत, के लिए अनुबंध देने का इरादा रखता है।

<u>एम/ओ</u>_____

नौकरी का नाम:_____

<u>एस.एच.</u>_____**.**

इसके बाद "अनुबंध" के रूप में संदर्भित किया गया है और जबकि प्रिंसिपल/मालिक भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और अपने बोलीदाता (ओं) और एजेंसी (ओं) के साथ अपने संबंध में निष्पक्षता / पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

और पूर्वोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा करार (जिसे इसके बाद "सत्यनिष्ठा संधि" या "संधि" कहा गया है) में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसके नियम और शर्तें भी पक्षकारों के बीच प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों और संविदा के अभिन्न अंग और पार्सल के रूप में पढ़ी जाएंगी।

अब, इसलिए, इस संधि में निहित आपसी अनुबंधों पर विचार करते हुए, पक्ष इस प्रकार सहमत हैं और यह समझौता निम्नानुसार गवाह है:

1. अनुच्छेद 1: प्रिंसिपल/मालिक की प्रतिबद्धता प्रधानाचार्य/स्वामी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता है:

a) प्रधानाचार्य/स्वामी का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से, प्रस्ताव के संबंध में, या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी भौतिक या अभौतिक लाभ के लिए वादा नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसका व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।
b) बोली प्रक्रिया के दौरान प्रिंसिपल/मालिक, सभी बोलीदाता(ओं) के साथ इक्विटी और कारण के साथ व्यवहार करेंगे। प्रधान / मालिक, विशेष रूप से, बोली प्रक्रिया से पहले और दौरान, सभी बोलीदाता (ओं) को एक ही जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता (ओं) को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता बोली प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में लाभ प्राप्त कर सके।
c) प्रिंसिपल/मालिक किसी भी व्यक्ति को बोली प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास करेगा, जिसका आचरण अतीत में पक्षपातपूर्ण रहा है।

2. यदि प्रधानाचार्य/स्वामी अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में सूचना प्राप्त करता है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम) के तहत एक आपराधिक अपराध है या इसमें उल्लिखित सिद्धांतों का उल्लंघन है या यदि इस संबंध में कोई वास्तविक संदेह है, तो प्रधानाचार्य/मालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अपनी आंतरिक निर्धारित नीतियों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है और प्रक्रियाएं।

अनुच्छेद 2: बोलीदाता(ओं)/एजेंसी की प्रतिबद्धता (s)

1. यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/एजेंसी (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करे, और बोली प्रक्रिया के दौरान और बातचीत या अनुबंध के अवार्ड के दौरान धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कृत्यों की रिपोर्ट सरकार/विभाग को करे, जिनके बारे में उसे जानकारी है या जागरूक है।

2. बोलीदाता/एजेंसी (निविदाताओं) को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे। यह बोली प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है।
    a) बोलीदाता/एजेंसी (ओं) सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, बोली प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रिंसिपल/मालिक के कर्मचारियों में से किसी को या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी सामग्री या अन्य लाभ नहीं देगी, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, बदले में बोली प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करने के लिए.
    b) बोलीदाता (बोलीदाताओं)/एजेंसी (ओं) किसी भी अघोषित समझौते या समझौते, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक में अन्य बोलीदाता (ओं) के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणनों, सहायक संविदाओं, बोलियों को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइज करने के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।
    c) बोलीदाता/एजेंसी संगत आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा, बोलीदाता/एजेंसी (ओं) अनुचित रूप से (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से) का उपयोग नहीं करेंगे, या योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल/मालिक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेजों को दूसरों को नहीं देंगे, जिसमें निहित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित जानकारी शामिल है।
    d) विदेशी मूल के बोलीदाता/एजेंसी (बोलीदाताओं)/भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पतों, यदि कोई हो, का खुलासा करेंगे। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/एजेंसी विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, के नाम और पते प्रकट करेंगे। या तो विदेशी प्रधान की ओर से भारतीय एजेंट या विदेशी प्रधान सीधे प्रस्ताव में बोली लगा सकता है लेकिन दोनों नहीं। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां कोई एजेंट एक एजेंसी/सेवा प्रदाता की ओर से प्रस्ताव में भाग लेता है, उसे उसी मद के लिए बाद में/समानांतर प्रस्ताव में प्रथम एजेंसी/सेवा प्रदाता के साथ किसी अन्य एजेंसी/सेवा प्रदाता की ओर से उद्धरण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    e) बोलीदाता (ओं)/एजेंसी (ओं), अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अनुबंध के पुरस्कार के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेगा, जो प्रतिबद्ध है या करने का इरादा रखता है।

3. बोलीदाता/एजेंसी (ओं) तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए उकसाएगी या ऐसे अपराधों में सहायक नहीं होगी.

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

4. बोलीदाता (ओं)/एजेंसी (ओं) को प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से धोखाधड़ी के व्यवहार में शामिल नहीं होने का मतलब है कि सार्वजनिक अधिकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके विश्वास में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों की चूक या नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना (ii) दूसरों के न्यायोचित हितों को नुकसान पहुंचाने और/या सरकारी हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अन्यायपूर्ण लाभ।

5. बोलीदाता/एजेंसी बोली प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से बलपूर्वक प्रथाओं (जिसका अर्थ है कुछ प्राप्त करने, किसी कार्रवाई को मजबूर करने या धमकी, धमकी या बल के उपयोग के माध्यम से निर्णय को प्रभावित करने का कार्य, जहां संभावित या वास्तविक चोट किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति पर पड़ सकती है) का उपयोग नहीं करेगी।

लेख 3: उल्लंघन के परिणाम

कानून या अनुबंध या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत प्रिंसिपल/मालिक को उपलब्ध किसी भी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोलीदाता(ओं)/एजेंसी (ओं) द्वारा इस अखंडता समझौते के उल्लंघन के मामले में प्रिंसिपल/मालिक के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीदाता/एजेंसी प्रिंसिपल/मालिक के पूर्ण अधिकार को स्वीकार करती है और उसका सम्मान करने और बनाए रखने का वचन देती है:

1) यदि बोलीदाता/एजेंसी (ओं) ने, या तो अवार्ड से पहले या अनुबंध के निष्पादन के दौरान उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है, तो प्रिंसिपल/मालिक के पास एजेंसी को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद बोलीदाता(ओं)/एजेंसी (ओं) को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या अनुबंध को समाप्त/निर्धारित करने की शक्तियां होंगी, यदि पहले ही निष्पादित किया जा चुका है या बोलीदाता/एजेंसी को भविष्य की अनुबंध पुरस्कार प्रक्रियाओं से बाहर कर दिया गया है। बहिष्करण लागू करने और उसकी अवधि अपराध की गंभीरता से निर्धारित की जाएगी और प्रधानाचार्य/स्वामी द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्करण हमेशा के लिए या सीमित अवधि के लिए हो सकता है जैसा कि प्रिंसिपल/मालिक द्वारा तय किया गया है।
2) प्रतिभूति जमा की जब्ती: यदि प्रधानाचार्य/स्वामी ने संविदा प्रदान करने से पहले बोली प्रक्रिया से बोलीदाता(ओं) को अयोग्य घोषित कर दिया है या संविदा समाप्त/निर्धारित कर ली है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार संविदा को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार अर्जित कर लिया है, तो प्रधानाचार्य/स्वामी को प्राचार्य/स्वामी को अर्जित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
3) आपराधिक दायित्व: यदि प्रिंसिपल/मालिक किसी बोलीदाता या एजेंसी या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या बोलीदाता या एजेंसी के सहयोगी के आचरण का ज्ञान प्राप्त करता है जो आईपीसी अधिनियम के अर्थ के भीतर भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रिंसिपल/मालिक को इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, तो प्रिंसिपल/मालिक आगे की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देंगे।

लेख 4: पिछला अपराध:

1) बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत में किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है जो बोली प्रक्रिया से उसे बाहर करने का औचित्य साबित कर सकता है।
2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या प्रिंसिपल/मालिक द्वारा उचित समझे जाने वाले बोलीदाता/एजेंसी के व्यावसायिक लेनदेन/अवकाश सूची पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।
3) यदि बोलीदाता/एजेंसी यह साबित कर सकता है कि उसने उसके द्वारा किए गए नुकसान का सहारा लिया है/क्षतिपूर्ति की है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित की है, तो प्रधान/मालिक अपने विवेक से, समय से पहले बहिष्करण को रद्द कर सकता है.

अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं / एजेंसियों / उप एजेंसियों का समान उपचार:

1) बोलीदाता/एजेंसी (ओं) ने सभी उप-एजेंसियों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप वचनबद्धता की मांग करने का वचन दिया है। बोलीदाता/एजेंसी अपनी किसी उप-एजेंसी/उप-विक्रेता द्वारा इस करार/समझौते में निर्धारित सिद्धांत के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगी।
2) प्रधान/स्वामी सभी बोलीदाताओं और एजेंसियों के साथ समान शर्तों पर समळौता करेंगे।

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM

3) प्रधानाचार्य/स्वामी बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो प्रस्ताव के साथ प्रधान/स्वामी और बोलीदाता के बीच विधिवत हस्ताक्षरित समझौते को प्रस्तुत नहीं करते हैं या बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं.

अनुच्छेद-6 - संधि की अवधि:

1) यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ठेके के अंतर्गत कार्य पूरा होने के 12 माह बाद अथवा दोष दायित्व अवधि, इनमें से जो भी अधिक हो, के जारी रहने तक एजेंसी/विक्रेता के लिए और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए ठेका सौंपे जाने तक समाप्त हो जाती है
2) यदि समय के दौरान कोई दावा किया जाता है/दर्ज किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा और ऊपर विनिदष्ट इस समझौते के समाप्त होने के बावजूद वैध रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, डीडीए द्वारा इसे निर्वचित/निर्धारित नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 7- अन्य प्रावधान:

1) यह समझौता भारतीय कानून और सामान्य रूप से नई दिल्ली में क्षेत्राधिकार और प्रिंसिपल/मालिक द्वारा सूचित प्रदर्शन के स्थान के अधीन है।
2) परिवर्तन और पूरक लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है। साइड एग्रीमेंट नहीं किए गए हैं.
3) यदि एजेंसी एक साझेदारी या एक संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों द्वारा या सभी भागीदारों और संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले एक या अधिक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कंपनी के मामले में, समझौते पर बोर्ड के संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4) यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस संधि का शेष भाग वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादे के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगी।
5) यह सहमत नियम और शर्त है कि इस अखंडता समझौते / समझौते की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, इस अखंडता समझौते / समझौते या उसकी व्याख्या के अनुसार मालिक / प्रिंसिपल द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

अनुच्छेद 8 - कानूनी और पूर्व अधिकार

पार्टियों के सभी अधिकार और उपचार अनुबंध और/या कानून के तहत ऐसे पक्षों से संबंधित अन्य सभी कानूनी अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे और इसे संचयी माना जाएगा और ऐसे कानूनी अधिकारों और उपायों का विकल्प नहीं होगा। संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस सत्यनिष्ठा समझौते को इस सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रावधान के संबंध में प्रस्ताव/संविदा दस्तावेजों पर वरीयता दी जाएगी।

जिसके गवाह में पार्टियों ने निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित स्थान और तारीख पर इस अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और निष्पादित किए हैं:

……..
(प्रिंसिपल/मालिक के लिए और उसकी ओर से)
…..... (बोलीदाता/एजेंसी की ओर से और
गवाहों के लिए:

1.....
(हस्ताक्षर, नाम और पता)
2..... (हस्ताक्षर, नाम और पता) स्थान:
दिनांकित: -

Generated from eOffice by SURAJ SHIVHARE, SS-RE(SFSC), RESIDENT ENGINEER, DDA on 13/03/2025 04:33 PM